

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

Proposal No. FP/UK/ROAD/32572/2018

परियोजना का नाम— लोल्टी करबीनगर मोटर मार्ग के विस्तार के निर्माण हेतु 0.188 हे0 सिविल, कुल
0.188 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

1.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	सहमत, परियोजना क्षेत्र के अर्न्तगत विभिन्न प्रजाति के कुल 46 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिसमें बाज प्रजाति के 29 वृक्ष भी प्रभावित होंगे।
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	परियोजना विभागाध्यक्ष से सम्बन्धित है, जनहित में स्वीकृति दी जाती है।

दिनांक 30-1-2019

स्थान पौड़ी

हस्ताक्षर.....
नाम (जी. के. रस्तोगी)
वन संरक्षक
मकुवाल वृत्त उत्तराखण्ड
पौड़ी